...ालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 11...

कमला देवी। सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स ...

प्रा.पत्र. पत्थरगढ़ी 1/2/24

2/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाकर शा० मिसल किया गया। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने सीमाज्ञान पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक : 01/2/23

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 1786, 1788, 1779, 1780, 1791, 1863 कस्बा लालसोट प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको प्रार्थीगण काश्त करते है। लगान सरकारी अदा करते है उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शा सीट मे हो रही है। जमाबन्दी नक्शा सीट की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त खसरा नंम्बर के पास प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 1779 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 1780 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन चाह की भूमि है जो चाह तो समाप्त हो गया तथा भूमि समतल हो गयी उक्त भूमि के आगे नगर पालिका द्वारा निर्मित पानी का पुख्ता नाला बना हुआ है। जमाबन्दी व नक्शा सीट की प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का रास्ता उक्त पानी के नाले को पार कर जाना पड़ता है। प्रार्थीगण की भूमि मे जाने का एकमात्र रास्ता भी इधर होकर ही है। इससे भूमि कट कट कर नष्ट हो रही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 1779 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1780 रकबा 08 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी करवा कर सीमाज्ञान करवाना चाहते है। क्योकि

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

गैरमुमकिन नाला अप्रार्थी राजस्थान सरकार है। इस कारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवा कर पत्थरगढी करवा सकें। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं0 1779, 1780 की सीमाज्ञान करवा कर पुख्ता रूप से पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि सरकार व प्रार्थीगण के बीच किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न नही हो। इस कारण प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक तरीके से भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी से पत्थरगढी बाबत रिपोर्ट ली गई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट का भी अवलोकन किया तहसीलदार लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 1779 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1780 रकबा 08 बिस्वा कुल 10 बिस्वा कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा की भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली होना अंकित किया जिससे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 1779 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 1780 रकबा 08 बिस्वा कुल 10 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा वाली भूमि का पहले सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कायम करावे तथा आवश्यकता पडने पर एस.एच.ओ. लालसोट से पुलिस इमदाद प्राप्त करें साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.)